

प्रेषक,

मूपेश चन्द्र तिवारी,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
यूजेवीएन लि०,  
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक: 7 <sup>जून</sup> ~~मई~~, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में नाबार्ड पोषित सुरिनगाड़-द्वितीय जल विद्युत परियोजना में पूंजीगत व्यय की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 448/यूजेवीएनएल/प्र.नि./ए-17 दिनांक 18.04.2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नाबार्ड पोषित सुरिनगाड़-द्वितीय जल विद्युत परियोजना हेतु नाबार्ड ऋण के रूप में रू० 361.60 लाख (रू० तीन करोड़ इकसठ लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि वर्णित अनुदान सं० एवं लेखाशीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. यूजेवीएन लि० द्वारा उक्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों की सक्षम स्तर से तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय साथ ही ऐसे अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु वांछित ऋण भी यथाशीघ्र अवमुक्त करा ली जाय।
2. स्वीकृत धनराशि का यूजेवीएन लि० के निदेशक वित्त द्वारा तैयार बिलों पर जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरान्त ही आहरण किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाय।
4. स्वीकृत ऋण पर 6.5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर करना होगा।
5. ऋण पर देय ब्याज एवं मूलधन की अदायगी संगत लेखाशीर्षक में राज्य सरकार के खाते में ससमय सुनिश्चित की जायेगी।
6. स्वीकृति के सापेक्ष वित्तीय वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि का समर्पण दिनांक 31.03.2019 तक प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, प्रचलित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन के मितव्ययता विषयक आदेशों का अनुपालन शत-प्रतिशत सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य सरकार को समयबद्ध रूप से प्रेषित किया जायेगा।
9. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष मासिक आधार पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति शासन एवं नाबार्ड को उपलब्ध कराया जायेगा और धनराशि का व्यय करने में नाबार्ड के दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि के उपयोग के पश्चात परियोजना का पी०सी०आर० (Project Completion Report) प्रस्तुत करते हुये धनराशि प्रतिपूर्ति हेतु प्रतिपूर्ति के दावे का प्रस्ताव तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

संख्या:- . . . .

10. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित विभागीय परियोजना प्रभारी/अधिकारी तथा निर्माण एजेन्सी/सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
  11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार ही कोषागार से आहरण सुनिश्चित किया जायेगा।
  12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान सं०-21 के अन्तर्गत नाबार्ड ऋण के रूप में लेखाशीर्षक 6801- बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-01- जल विद्युत उत्पादन-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-98-नाबार्ड पोषित-9801-जल विद्युत निगम को ऋण-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।
- 2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-144/XXVII(2)/2018 दिनांक 29 मई, 2018 द्वारा उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक : अलॉटमेन्ट आई0डी0।

भवदीय,

(भूपेश चन्द्र तिवारी)

अपर सचिव।

संख्या-551 /1/2018-04(1)/21/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि : - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवार्यें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(हरीश कुमार सागर)

अनु सचिव।